

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 20.04.2020

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज,
जयपुर।


विषय:- वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में राज्य में उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में राज्य में कोरोना से संक्रमित लक्षण रहित मरीजों (Asymptomatic Positive) को संबंधित जिला चिकित्सालय में रखा जाना है। अतः राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों के मेडिसन/शिशु रोग/निश्चेतन एवं टी. बी. रोग विशेषज्ञ को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांक 21.04.2020 को दोपहर 12.00 बजे आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाने का श्रम करावें।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
7. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव